

अमेरिका-ईरान युद्ध के कारण बीकानेर के “बॉल क्ले” व्यवसाय पर संकट

बीकानेर की क्ले खदानों से रोज 400 ट्रक निकलते थे, अब 50-60 ही गुजरात के मोरबी जा रहे हैं

बीकानेर, (निसं)। अमेरिका–इजरायल और ईरान युद्ध ने बीकानेर के “बॉल क्ले” व्यवसाय पर संकट खड़ा कर दिया है। गुजरात के मोरबी में ईंधन के रूप में इस्तेमाल की जा रही गैस की किल्लत के कारण टाइल्स और सिरेमिक उत्पाद की करीब 600 फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, जिससे वहां के व्यवसायियों ने ऑर्डर कैंसिल कर बीकानेर से क्ले मंगाना बंद कर दिया है। बीकानेर से रोजाना 400 ट्रक क्ले गुजरात जाते थे और अब 50–60 ही रह गए हैं।

टाइल्स और अन्य सिरेमिक उत्पाद के लिए सबसे जरूरी खनिज “बॉल क्ले” की बीकानेर में करीब 241 खानें हैं। यहां से हर साल 40 लाख टन क्ले गुजरात के सिरेमिक हब मोरबी भेजी जाती है, जहां टाइल्स और अन्य सिरेमिक उत्पाद तैयार किए जाते हैं। इससे मोरबी में सालाना

■ **मोरबी में ईंधन के रूप में इस्तेमाल की जा रही गैस की किल्लत के कारण टाइल्स और सिरेमिक उत्पाद की करीब 600 फैक्ट्रियां बंद**

■ **बीकानेर का क्ले व्यवसाय पूरी तरह लड़खड़ाया, प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से करीब सात लाख लोगों पर रोजगार का संकट खड़ा हुआ**

60 हजार करोड़ रुपए का टर्नओवर होता है। पिछले 25 दिन से चल रहे युद्ध के कारण मोरबी में गैस की आपूर्ति बाधित हो गई। अब फैक्टरी मालिकों ने बीकानेर के खान मालिकों को माल भेजने से मना कर दिया है। अब 50–60 ट्रक ही मोरबी जा रहे हैं। ये गाड़ियां भी मोरबी में वे लोग मंगा रहे हैं, जिनकी फैक्ट्रियों में गैस का स्टॉक था। अगर युद्ध लंबा चला तो बीकानेर से क्ले का डिस्पैच पूरी तरह बंद हो जाएगा। बीकानेर का क्ले

व्यवसाय पूरी तरह लड़खड़ा गया है। प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूप से करीब 7 लाख लोगों पर रोजगार का संकट खड़ा हो गया है।

देश में करीब सिरेमिक टाइल्स बनाने वाली 1000 इकाइयां हैं, जिनमें से अधिकांश गुजरात के मोरबी में ही है। करीब 25 इकाइयां राजस्थान सहित अन्य राज्यों में हैं। प्रत्येक इकाई रोजाना औसतन 20,000 वर्ग मी. टाइल्स का उत्पादन करती है। इसके लिए रोजाना 25 मीट्रिक टन

पेट्रोलियम गैस की आवश्यकता होती है। आपूर्ति में रुकावट से उत्पादन की लागत बढ़ गई है। फैक्ट्रियां बंद होने से बड़ा आर्थिक और रोजगार संकट खड़ा हो रहा है। अन्तर्राष्ट्रीय शिपिंग लागत में भारी वृद्धि हो गई है। डॉलर महंगा होने और ईंधन लागत बढ़ने से आयातित कच्चे माल महंगे हो गए हैं। सिरेमिक उत्पाद का 30 प्रतिशत निर्यात होता है।

क्ले व्यवसायी राजेश चूरा का कहना है कि हालात नहीं सुधरे तो जल्दी ही खानें बंद करने की नौबत आ जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो करीब 7 लाख लोग प्रभावित होंगे। क्ले की एक खान से कम से कम 3000 लोगों का रोजगार जुड़ा है। बीकानेर में 241 खानें हैं तो उनसे जुड़े लोगों के रोजगार पर संकट खड़ा हो जाएगा। मोरबी के जो फैक्टरी मालिक 50–60 गाड़ियां क्ले मंगा

रहे हैं, वो भी जल्दी ही बंद कर देंगे। मनोज एरवाड़ियां, सिरेमिक एसेसिएशन अध्यक्ष, मोरबी, गुजरात ने बताया कि मोरबी में टाइल्स और सिरेमिक की करीब 600 इकाइयां बंद कर दी गई हैं। जब तक गैस की किल्लत दूर नहीं हो जाती, इन्हें शुरू करना मुश्किल होगा। बीकानेर के क्ले व्यवसायियों को डिस्पैच रोक देने के लिए कहा गया है। जिन फैक्ट्रियों में गैस का स्टॉक है, केवल वही क्ले मंगा रहे हैं। गैस आपूर्ति शुरू सुचारू होने के बाद भी सिरेमिक व्यवसाय पटरी पर आने में 4–6 माह का समय लगेगा।

एमपी पुरोहित, खनि अभियंता, बीकानेर का कहना है कि रवत्रा और उत्पादन के आंकड़ों के मुताबिक क्ले का डिस्पैच सामान्य से कम होता जा रहा है। इसका बड़ा कारण मोरबी में सिरेमिक इकाइयों का बंद होना है।

युवती की संदिग्ध मौत, युवक हिरासत में

जोधपुर, (कासं)। शहर के एक होटल में मंगलवार को एक युवती की संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी, जिसका एमजीएच में मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया गया। संदेह है कि युवती से दुष्कर्म किए जाने से उसकी मौत हो गई। मृत्यु का कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही पता लग जाएगा। पुलिस ने होटल में उसके साथ रहते युवक को हिरासत में लिया है, जिससे पूछताछ जारी है। दोनों ग्रामीण परिवेश से है। मृतक के भाई की तरफ से दुष्कर्म और हत्या किए जाने की आशंका में केस दर्ज कराया गया है।

उदयमंदिर थानाधिकारी सीताराम खोजा ने बताया कि मंगलवार को एक होटल में युवती संदिग्ध मौत की जानकारी पर पुलिस वहां पर पहुंची थी। शव को बाद में एमजीएच मोर्चरी में रखवाया गया, जिसका आज मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया।मौत का कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही पता लग जाएगा। मृतका के भाई ने एक युवक पर जोकि होटल में उसकी बहन के साथ रूका था, उस पर दुष्कर्म और हत्या की आशंका में रिपोर्ट दी है। थानाधिकारी ने बताया कि संदिग्ध युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ को जा रही है।

श्रीगंगानगर में ‘रेबीज’ से डॉग के मालिक की मौत

दस दिन पहले कुत्ते (श्वान) की भी मौत हो गई थी, संपर्क में आने से युवक को भी रेबीज हो गया था

■ **युवक हवा-पानी से डरने लगा था, अस्पताल में भी आक्रामक हो गया**

ही मौत हो गई थी। इसके संपर्क में आने से युवक को भी रेबीज हो गया। इसके बाद बुधवार को युवक की तबीयत बिगड़ने लगी। रेबीज के लक्षण नजर आने लगे और पागलों जैसी हरकतें, बेचैनी और असामान्य व्यवहार करने लगा। परिजन उसे श्रीगंगानगर के सरकारी हॉस्पिटल में ले गए। जानकारी के अनुसार, अस्पताल की इमरजेंसी में पहुंचते ही मरीज को हालत और बिगड़ गई। डॉक्टरों की टीम तुरंत मौके पर

पहुंची। पीएमओ डॉ. सुखपाल सिंह बराड़ सहित आधा दर्जन डॉक्टरों ने मरीज को देखा, लेकिन रेबीज की आक्रामक स्टेज में इलाज संभव नहीं हो पाया। इमरजेंसी रूम में ही युवक की मौत हो गई।

पीएमओ डॉ. सुखपाल सिंह बराड़ ने बताया कि परिजनों ने बताया था कि ये हवा-पानी से डरने लगा था और आक्रामक भी हो गया था। मरीज के साथ आए परिजनों को तुरंत रेबीज बचाव इंजेक्शन लगाए गए हैं। इमरजेंसी कक्ष को हाइपो से साफ करवाया गया। बैड और स्ट्रेचर को बाहर निकालकर सैनिटाइज किया गया। शव को जिला अस्पताल की मॉर्चुरी में रखवाया गया है। गुरुवार को शव का पोस्टमॉर्टम किया जाएगा।

जोधपुर में सूने घर से जेवर व सामान चोरी

परिवार शादी समारोह में गांव गया हुआ था, पड़ौसी ने सूचना दी

जोधपुर, (कासं)। शहर की पुरानी आशापूर्णा टाउनशिप में एक सूने घर में चोरों ने सैध लगाकर वहां से दो किलो चांदी के आभूषण, बर्तन के साथ सोने के आइटम चोरी कर ले गए। परिवार के लोग सीकर अपने गांव शादी समारोह में गए हुए थे। पड़ौसी ने घर के ताले टूटने को जानकारी दी। इस पर वे जोधपुर लौटे और अब एयरपोर्ट थाने में चोरी की रिपोर्ट दी है।

एएसआई भंवराराम ने बताया कि पुरानी आशापूर्णा टाउनशिप, शिकारगढ़ निवासी अक्षय प्रताप सिंह की तरफ से मामला दर्ज करया गया। इसमें बताया कि वह परिवार सहित अपने गांव सीकर गया हुआ था, परिवार में शादी समारोह के चलते घर तकरीबन पांच–सात दिन से सूना था। इस बीच पड़ौसी ने सूचना दी कि घर के ताले टूट पड़े हैं। यहां आने

■ **दो किलो चांदी के आभूषण, चार तोला सोने के जेवर और चांदी के बर्तन चोरी**

पर पता लगा कि चोरों ने सारा सामान बिखेर दिया और अलमारी बक्सों के ताले तोड़कर वहां से करीबन दो किलो चांदी के आभूषण, चार तोला सोने के जेवर और चांदी के बर्तन चोरी कर ले गए। चोरी हुए सामान में चांदी के बर्तन जैसे प्लेटें, कटोरी, गिलास, चम्पच के अलावा सोने की अंगूठी, चेन, ब्रेसलेट और चांदी की मूठ वाली तलवार शामिल है। एएसआई भंवराराम ने बताया कि परिवारों के पिता प्रोपर्टी का काम करते थे। परिवारों खुद पढ़ाई करता है, उसकी तरफ से मामला दर्ज करया गया है।

अहमदाबाद में उदयपुर के युवक की हमलावरों ने हत्या की

हमलावर ने युवक के पेट में इतने गहरे घाव किए कि उसका शरीर खून से लथपथ हो गया

■ **घटना के बाद परिजन और समाज के लोग उदयपुर से अहमदाबाद पहुंचे और सिविल हॉस्पिटल परिसर में प्रदर्शन कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की**

■ **मृतक हितेष की दो माह बाद शादी होने वाली थी, जिसकी घर में तैयारियां चल रही थी, लेकिन अचानक हुई इस वारदात ने खुशियों को मातम में बदल दिया**

हितेष की दो माह बाद शादी होने वाली थी, जिसकी घर में तैयारियां चल रही थीं। लेकिन अचानक हुई इस वारदात ने खुशियों को मातम में बदल दिया। मेघवाल युवा संगठन के बलीचा निवासी हितेष (25) पुत्र रमणलाल मेघवाल पिछले 20 वर्ष से अहमदाबाद के गुप्ता नगर में रहकर फनीचर का काम करता था। सोमवार रात को हितेष अपने घर के बाहर बरामदे

में सो रहा था, तभी अज्ञात हमलावरों ने उस पर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमला इतना भीषण था कि युवक के शरीर के अंग बाहर निकल आए और उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। पास ही सो रही बहन की चूख-पुकार सुनकर परिजन बाहर दौड़े, लेकिन तब तक अपराधी फरार हो चुके थे। घटना की सूचना पर गुजरात पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सिविल हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया।

पोकरण : सड़क दुर्घटना में दो की मौत, आठ घायल

चाचा गांव के नजदीक बोलेरो कैपर अनियंत्रित होकर पलट गई

पोकरण, (निसं)। पोकरण के पास चाचा गांव के नजदीक बुधवार दोपहर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। हादसे में बोलेरो कैपर अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे उसमें सवार दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि आठ अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

प्राप्त जानकारी के अनुसार वाहन में दस लोग सवार थे। घायलों में 4 महिलाएं, 3 पुरुष और 1 बच्चा शामिल है। हादसा सड़क पर अचानक आई गैज के रस्ता के प्रयास में हुआ, जिसमें तोड़ रस्ता के चलते सड़क वाहन पर नियंत्रण खो बैठा और गाड़ी पलट गई। हादसे में मृतकों की पहचान गोर्धन सिंह और गोपाल सिंह के रूप में हुई है। सभी घायल थरथात गांव के निवासी बताए जा रहे हैं, जो रामदेवरा

■ **सड़क पर अचानक आई गाय को बचाने के प्रयास में हुआ हादसा**

से एक शोक सभा में शामिल होकर लौट रहे थे। घटना के बाद मौके पर अफरा–तफरी मच गई। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को निजी वाहनों और एम्बुलेंस के जरिए तुरंत पोकरण के उपजिला अस्पताल पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल तीन लोगों को इलाज के लिए जोधपुर रेफर किया गया है, जबकि अन्य घायलों का उपचार पोकरण में जारी है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और दुर्घटना के कारणों की विस्तृत जांच की जा रही है।

श्रीगंगानगर कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली

कोलकाता के एक गलत एड्रेस से डाक के जरिए भेजे गए अज्ञात पत्र में चैतानी दी गई थी

श्रीगंगानगर, (निसं)। श्रीगंगानगर में कोर्ट कैपस को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। कोलकाता के एक गलत एड्रेस से डाक के जरिए भेजे गए अज्ञात पत्र में कोर्ट को उड़ाने की चेतावनी दी गई थी। बुधवार सुबह बीकानेर से बम निरोधक दस्ता कोर्ट पहुंच गया और पूरे परिसर की सुरक्षा कड़ी कर दी गई। एसपी समेत पुलिस जाब्ता भी मौके पर पहुंचा। डॉग स्वाड और बमनिरोधक टीम ने कोर्ट के चप्पे–चप्पे की गहन तलाशी ली। सी और डी ब्लॉक के चैंबर, न्यायिक अधिकारियों के कक्ष समेत पूरे परिसर की जांच की गई। बम निरोधक दस्ते की क्लियरेंस मिलने के बाद ही कोर्ट में कामकाज शुरू हो पाया। पत्र भेजने वाले का पता

■ **बीकानेर से बम निरोधक दस्ता कोर्ट पहुंचा और पूरे परिसर की सुरक्षा कड़ी कर दी**

■ **बम निरोधक दस्ते की क्लियरेंस मिलने के बाद ही कोर्ट में कामकाज शुरू हो पाया**

लगाने के लिए सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं। कोलकाता के एड्रेस का इस्तेमाल कर भेजे गए धमकी भरे पत्र की ट्रेसिंग के लिए सायबर सेल और पोस्टल विभाग की मदद ली जा रही है। इस घटना के बाद सूक्ष्मा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हो गई हैं। कोर्ट परिसर में एंटी और मोर्चा जांच कड़ी कर दी गई है। अधिकारी लगातार निगरानी कर रहे हैं और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी।

जानकारी के अनुसार, 15 दिन पहले यानी 10 मार्च को सुबह करीब 11:30 बजे श्रीगंगानगर के पासपोर्ट ऑफिस (पोस्ट ऑफिस परिसर में स्थित) को भी बम से उड़ाने की ई–मेल धमकी मिली थी। उस समय भी बीकानेर से बम निरोधक दस्ता बुलाया गया और पूरे परिसर की गहन तलाशी ली गई, लेकिन कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। इसके बाद अगले दिन ऑफिस ने सामान्य कामकाज शुरू कर दिया।

लाखों की अफीम सहित तीन तस्कर गिरफ्तार

भीलवाड़ा, (निसं)। रायला थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक सफेद रंग की फॉर्च्यूनर कार से 592 ग्राम अवैध अफीम बरामद कर हरियाणा निवासी तीन अंतरराष्ट्रीय तस्करों को गिरफ्तार किया है। बरामद अफीम की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत तीन लाख रुपये आंकी गई है।

रायला थानाधिकारी मुलचंद वर्मा ने बताया कि थाने के सामने भीलवाड़ा–गुलामपुरा रोड पर नाकाबंदी का जा रही थी। इसी दौरान भीलवाड़ा की ओर से आ रही एक संदिग्ध सफेद फॉर्च्यूनर कार को रुकवाया गया। पुलिस को देखकर कार सवार युवक धक्का गपा। तलाशी लेने पर गाड़ी के अंदर एक प्लास्टिक की थैली में छिपाकर रखी गई 592 ग्राम अफीम मिली। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार में सवार तीनों आरोपियों को नुकुल जाट निवासी कुमाधपुर, सोनीपत हरियाणा, राहुल जाट निवासी डेलाना, सोनीपत हरियाणा, विक्की जाट निवासी लुधाना, जिला जौद हरियाणा को गिरफ्तार कर लिया।

■ **वन विभाग ने तीन दिन पहले जंगल की सीमा पर पिंजरा लगाया था, जिसमें लैपर्ड कैद हो गया**

लैपर्ड पिंजरे में फंस चुका था। सूचना मिलते ही वनपाल रीना कुंवर के नेतृत्व में वन विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। टीम ने पूरी सतर्कता बरतते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम देया और लैपर्ड की सुरक्षित कब्जे में ले लिया। बाद में उसे सज्जनगढ़ बायोलाजिकल पार्क में पहुंचा दिया। लैपर्ड के पकड़े जाने के बाद ग्रामीणों में खुशी का माहौल है, लेकिन वन विभाग ने सभी से सतर्कता बरतने की अपील की है। खासकर सुबह और शाम के समय बाहर निकलते वक्त अतिरिक्त सावधानी रखें।

अज्ञात व्यक्ति का शव मिला

नापासर, (निसं)। रेलवे स्टेशन के पास बुधवार दोपहर अज्ञात व्यक्ति अचेत अवस्था में मिला। उसे राजकीय चिकित्सालय नापासर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। जानकारी के अनुसार, करीब

राजस्थान सरकार	
कार्यालय- राजकीय महाविद्यालय करौली (322241) Email ID-pgcollogokarauli@gmail.com	
क्रमांक- 2025-26/519	दिनांक-16.03.2026
(E-tender NIB No. 02/2025-26)	
Sealed Single Stage Two-envelopes and unconditional online Bids for Rate contract for upto 31.03.2027 provide : Un-Skilled, Semi-Skilled, Skilled And highly skilled manpower for Government College, Karauli are invited from interested bidders upto 27.03.2026 at 01.00 PM. Other particulars of the bid may be visited on the Procurement Portal (http://sppp.rajasthan.gov.in). The approximate value of the procurement is Rs. 25 Lakh.	
UBN NO. ECD2526SL0800624	
DIPR/C/5759/2026	Principal
	Government College, Karauli

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सर्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड रामगंज मण्डी (जिला कोटा)	
क्रमांक- 1349	दिनांक-18.03.2026
निविदा सूचना संख्या 23/2025-2026	
राजस्थान के राज्यपाल महोदय की और से सड़क/मनव कार्य के उपयुक्त श्रेणी में सर्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान में पंजीकृत संवेदकों एवं राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के अधिकृत संचालक/केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग/इसक एवं दूर संचार विभाग/रेल्वे इत्यादि में पंजीकृत संवेदकों जो कि राजस्थान सरकार के "ए", "बी" "सी" एवं "डी" श्रेणी के संवेदको के समक हो से निर्धारित प्रपत्र में ई-जोयुक्स्ट्रेट प्रक्रिया एवं अनिवार्य निविदा निम्न कार्यो की आमंत्रित की जाती है। निविदा से सम्बन्धित सारस विवरण वेबसाईट " www.diproline.org " , " www.eproc.rajesthan.gov.in " तथा " www.pwd.rajesthian.gov.in " पर देखा जा सकता है। इसक संवेदको को अपने डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से वेबसाईट " www.eproc.rajesthan.gov.in " पर रजिस्टर्ड करवाना आवश्यक है।	
1. PWD2526WSO50825949, 2. PWD2526WSO825950, 3. PWD2526WSO50825951	
4. PWD2526WSO825952, 5. PWD2526WSO825953	
(आर.के.मीणा)	
अधिशाषी अभियन्ता	
सा.नि. वि. खण्ड रामगंज मण्डी	
DIPR/C/5939/2026	

राजस्थान सरकार	
कार्यालय सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई एवं बाल अधिकारिता विभाग जालोर	
नर्मदा कॉलोनी, समाज कल्याण विभाग के पीछे जालोर (राज.) ई-मेल- dcujalor@gmail.com	
क्रमांक-जि. बा. सं. इ./ जालोर / 2025-26/733	दिनांक-17.03.2026
ई-निविदा सूचना संं. 01/2025-26	

कार्यालय सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई एवं बाल अधिकारिता विभाग जालोर के अधीन संचालित चाईलड हेल्थ लाईन 1098 (24x7) सेवा के संचालन हेतु एक वर्ष के लिए जॉब बेसिस पर मानव संसाधन (प्रोजेक्ट मेनेजमेंट यूनिट) उपलब्ध करने हेतु ई-निविदा के माध्यम से पंजीकृत / रजिस्टर्ड संवेदक / बोलीदाताओं से निविदा आमंत्रित की जाती है। ई-निविदा का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	जॉब बेसिस पदों का विवरण	जॉब बेसिस पदों की संख्या	अनुमानित वार्षिक लाभात	बोली प्रतियुक्ति राशि (रुपये में)	बोली प्रपत्र शुल्क (रुपये में)	ई- निविदा प्रक्रिया शुल्क (रुपये में)
1	2	3	4	5	6	7
1	project coordinator	01				
2	counselor	01	20.88 लाख	41,760/-	500/-	500/-
3	child helpline supervisors	03				
4	case worker	03				

NIB NO-CE2526A0114					
UBN NO-CE2526SL0800113					
1	डाइरेक्टर् डाउनलोड प्रारम्भ	प्रतिथि एवं समय	17.03.2026	सांय 5.00 बजे	
2	विड सबमिशन स्टार्ट	तिथि एवं समय	17.03.2026	सांय 5.00 बजे	
3	डाइरेक्टर् डाउनलोड की अंतिम तिथि	एवं समय	27.03.2026	सांय 5.00 बजे	
4	कार्यालय में मतिमूर्ती राशि प्रोसेसिंग फीस एवं टेंडर फीस जमा करने की अंतिम तिथि	एवं समय	27.03.2026	सांय 5.00 बजे	
5	विड समीक्षण की अंतिम तिथि	एवं समय	27.03.2026	सांय 5.00 बजे	
6	तकनीकी विड खोलने की तिथि	एवं समय	27.03.2026	सांय 5.30 बजे	
7	वितीय विड खोलने की तिथि	एवं समय		Will be intime later to the Technically Qualified Bidders	

निविदा संबंधी विस्तृत सूचना दखराजित मय रातें <https://sppp.rajasthan.gov.in> व <https://eproc.rajesthan.gov.in> पर व डाउनलोड की जा सकती है। निविदा <https://eproc.rajesthan.gov.in> पर ऑनलाइन आमंत्रित की जाती है। देखी तकनीकी विड निविदादाताओं की खोली जायेगी जिनके द्वारा पिछ्ठा मतिमूर्ती राशि का मूत धिमापड इष्टत जो की Assiant Director, District Child Protection Unit & Child Department Jalore के नाम एवं जालोर में देय हो कार्यालय में भौतिक रूप से जमा करया जायता तथा निविदा प्रपत्र शुल्क ऑनलाइन ई-भास से वालान 500/- रूपये Assiant Director, District Child Protection Unit & Child Em. Department Jalore के नाम से एवं RLSL ई निविद प्रक्रिया शुल्क राशि ऑनलाइन ई-भास से वालान 500/- रूपये Managing Director, RLSL, Jaipur Payable at Jaipur के नाम से हो निर्धारित तिथी एवं समय तक कार्यालय में प्रस्तुत कर दी गई होगी। यह निविदा निर्धारित तिथि व समय को जो निविदादाता उपस्थित होगे, के समक्ष खोली जायेगी। किसी बोली को स्वीकार / अस्वीकार करने या किसी बोली को निरस्त करने का उपपान समिति को सम्पूर्ण अधिकार होगा। उक्त निविदा के अन्तर्गत वाहा गया कार्य पूर्णतः जॉब बेसिस आधार पर है और यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया जाता है कि उक्त जॉब बेसिस कार्य हेतु संवेदक द्वारा उपलब्ध करवाये जाने वाले जॉब बेसिस वकंर भविष्य में स्थायीकरण / राज्य कर्मचारियों के समकक्ष वित्तीय अथवा अन्य परिलभ प्राप्त करने हेतु किसी भी आधार पर विधिक अथवा प्रशासनिक रूप से अधिकृत नहीं होगी। यदि इस संदर्भ में जॉब बेसिस वकंरों द्वारा उक्तानुसार अंतिम निर्देश व स्पष्टीकरण के विपरित कोई मांग अथवा विधिक दावा किया जाता है, तो उनके द्वारा किया जाने वाला ऐसा प्रयास अथवा प्रयोजनवश माना जाकर निरकानूनी होगा और इसके लिए संबंधित संवेदक/एम/एजेंसी ही उत्तरदायी होगी, यह कार्यालय/विभाग किसी भी रूप में उत्तरदायी नहीं होगा। तकनीकी एवं वित्तीय निविदा खोलने की तिथि को अवकाश होने/घोषित होने पर अगले कार्य दिवस को निविदा खोली जायेगी।

DIPR/C/5867/2026	जिला बाल संरक्षण इकाई एवं बाल अधिकारिता विभाग जालोर
------------------	---

राजस्थान सरकार	
कार्यालय आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर	
क्रमांक-F.32(B) (After Policy 2026-27)/EX/L/2026-06481-9018219/803	दिनांक-25.03.2026
मदिरा दुकानों के कलस्टर (समूह) के अनुज्ञापत्र हेतु ई-नीलामी आमंत्रण सूचना	
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राज्य सरकार की आज्ञा क्रमांक प. 4 (1) विस./आब/2026 दिनांक 27 जनवरी, 2026 के द्वारा जारी आबकारी एवं मद्य-संयम नीति वर्ष 2025-29 में संशोधन के प्रावधानानुसार नवीनीकरण से शेष रहे मदिरा दुकानों के कलस्टर (समूह) की ऑनलाइन ई-नीलामी के लिये विभागीय वेबसाईट https://iems.rajasthan.gov.in पर निम्नानुसार ई-बोली आमंत्रित की जाती है। :-	

क्र.सं.	नीलामी की दिनांक	नीलामी का समय
1	28-03-2026	प्रातः 11.00 बजे से सांय 4.00 बजे तक
1.	ई-नीलामी में भाग लेने के इच्छुक बोलीदाता द्वारा विभागीय वेबसाइट https://iems.rajasthan.gov.in से अपने SSO ID के माध्यम से लॉगइन करने हेतु विभागीय ई-आँखन पत्र में निर्धारित प्रक्रियानुसार एक बरिदा पंजीकरण करने उपरान्त ऑनलाइन नीलामी में भाग लिया जा सकेगा। इच्छुक बोलीदाता को ई-नीलामी में भाग लेने से पूर्व सक्षमता पराख्यान सरकार के पोर्टल https://sso.rajasthan.gov.in पर "Citizen" कटेगरी के अन्तर्गत SSO ID बनाना होगा।	
2.	नीलामी एक कार्य दिवस में न्यूनतम पांच घण्टे की होगी एवं उसके पश्चात् जब तक बोली लगती रहे तब तक 10 मिनट के अनन्त विस्तार (indefinite extension) तक जारी रहेगी।	
3.	बोलीदाता को कम से कम रु. 10,000/- अथवा रु. 10,000 के गुणों के बढाकर बोली लगानी होगी।	
4.	बोलीदाता एक बार में रिजर्व प्राइस / पिछ्ठी बोली से 10 प्रतिशत से अधिक राशि बढाकर बोली नहीं लगा सकेगा।	
5.	व्हास्टर का जितलेवार एवं उनके आवेदन शुल्क, न्यूनतम रिजर्व प्राईस एवं अमानत राशि का विवरण विभागीय वेबसाईट https://iems.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध रहेगा।	
6.	ऑनलाइन नीलामी में SSO ID के माध्यम से भाग लेने हेतु इच्छुक आवेदक द्वारा कलस्टर का चयन कर आवेदन शुल्क एवं अमानत राशि यथासंभव नीलामी की तिथि से एक दिवस पहले रात 11.59 तक https://iems.rajasthan.gov.in पर बोलीदाता के अंतर्गलान भुगतान द्वारा इस वेबसाईट पर जमा हो जानी चाहिये। ऐसा करने से बोलीदाता विभिन्न प्रकार की तकनीकी समस्याओं से बच सकेगा। ऑनलाइन भुगतान नहीं होने या अस्थाय तकनीकी कारणों से निर्धारित राशियां जमा नहीं होने के कारण बोली में भाग नहीं ले पाने के लिये आवेदक स्वयं जिम्मेदार हो लेंगे।	
7.	प्रत्येक व्हास्टर के लिये ऑनलाइन नीलामी में भाग लेने हेतु निर्धारित न्यूनतम रिजर्व प्राईस की 2 प्रतिशत राशि अमानत राशि के रूप में आवेदन के साथ जमा करायी जानी है। बिना राशि के अनुसार अतिरिक्त अमानत राशि (Dynamic Earnest Money) भी जमा करानी होगी।	
8.	सफल बोलीदाता को धरोहर राशि, अग्रिम वार्षिक गारन्टी राशि एवं वार्षिक लार्डिसेन्स फीस ई-नीलामी के संबंध में विस्तृत दिशा निदेश एवं शर्तों, जो विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध हैं, के अनुसार जमा करनी होगी।	
9.	निर्धारित समय में वांछित राशियाँ यथा धरोहर राशि, अग्रिम वार्षिक गारन्टी राशि एवं वार्षिक लार्डिसेन्स फीस जमा न करने पर वसीकृति निरस्त कर समस्त जमा राशि जपवर्ज्य की जायेगी। एवं 2026-27 के पात्र अनुज्ञापन को वर्ष क्रमांक: 2027-28 व 2028-29 के लिये निर्धारित शर्तों पर अनुज्ञापन नवीनीकरण का अवसर दिया जायेगा।	
1.	बोलीदाता को ई-नीलामी में भाग लेने से पूर्व विभागीय वेबसाईट https://iems.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध आबकारी एवं मधसमय नीति वर्ष 2025-29 एवं नीति में संशोधन दिनांक 27.01.2026 तथा समस्त दिशा-निदेश, प्रक्रिया एवं शर्तों का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर लिया जाना चाहिये।	
2.	मंदिरा कलस्टर के बन्दोबस्त हेतु वे ही व्यक्ति ई-नीलामी में भाग ले सकेंगे, जो राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 एवं इसके अन्तर्गत आबकारी कायदा का पत्र निम्नो, आबकारी एवं मधसमय नीति वर्ष 2025-29 व संशोधन दिनांक 27.01.2026 तथा भारतीय संबोधित अधिनियम के तहत अनुबन्ध करने की योग्यता रखते हों। इस सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निदेश https://iems.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध हैं। अन्य जानकारी हेतु संबोधित अतिरिक्त आयुक्त जयपुर, जिला आबकारी अधिकारी एवं जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है।	
3.	ई-नीलामी के संबंध में अन्य सभी प्रावधान आबकारी एवं मधसमय नीति वर्ष 2025-29 व नीति में संशोधन दिनांक 27.01.2026 तथा राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 एवं इसके अन्तर्गत बने नियम के अनुसार रहेगा।	

IPRC/ 2026

आबकारी आयुक्त, उदयपुर